कृषि अनुसंधान केन्द्र
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
केशवाना (जालौर) 343001

क्रमांक— प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 103 दिनांकः 05.05.2022

निविदा सूचना

सर्वःसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना पर जून 2022 से अप्रेल 2023 तक की अवधि में विभिन्न कृषि तथा अन्य कार्य करने हेतु विभिन्न वर्गो के मजदूर उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती है। अतः इच्छुक व्यक्ति अपनी मोहरबन्द निविदा इस कार्यालय में धरोहर राशि रूपये 20,000 / — रोकड़ अथवा बैंक ड्राफ्ट जो कि श्रीमान क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना के नाम देय हो दिनांक 19.05.2022 दोपहर 12:00 बजे तक जमा करवा सकते है। निविदा प्रपत्र शुल्क रूपये 500 / — जमा करवाकर कार्यालय से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त कर सकते है। निविदा उसी दिन दोपहर 02:00 के बाद उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र व शर्तों को कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट www.sppp.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा की अनुमानित कीमत रूपये 9.50 लाख है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान का होगा।

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवंम् आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. श्रीमान वित नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय,जोधपुर ।
2. श्रीमान निदेशक अनुसंधान, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. श्रीमान कोषाधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर।
4. लेखा शाखा, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना।
5. संयोजक / सदस्य, निविदा कमेठी / समस्त सूचना पट्ट:-

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)
केशवाना (जालौर) 343001

कृषि व अन्य कार्यो के लिए अनुबन्ध पर श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा (वर्ष 2022–23)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2022 / सं–
निविदा क्रम संख्या	कमांकः प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 103 दिनांकः 05.05.2022
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / –रूपये रसीद संख्याः————————————— दिनांक : —————
निविदा वर्ष	2022–23
श्रमिक उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2022 से अप्रेल 2023
अनुमानित लागत	रू 9,50,000 / –
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	05.05.2022 से 19.05.2022 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	19.05.2022 दोपहर 12.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	19.05.2022 दोपहर 02.00 बजे तक
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर
पत्राचार हेतु पता	क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) पिन कोड़– 343001

नोटः– धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 19.05.2022 दोपहर 12.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर रशि बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक / नगद द्वारा जो कि क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (Zonal Director Research, Keshwana, Jalore) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्नः निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें–

क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान

कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रू. पॉंच सौ मात्र) रसीद संख्या .... दिनांक ....निविदा सूचना क्रमांक प. फार्म स्टोर/कृअके/केशवाना/2022/103 दिनांक 05.05.2022 के तहत कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) पर कृषि व अन्य कार्यो के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने का निविदा प्रपत्र धरोहर राशि रू 20000/– (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या .... दिनांक ....

निविदादाता का नाम व पूरा पता ....

दूरभाष नंबर यदि होः............................... मो. नंबर ....

आयकर खाता नम्बर (PAN number) ....

किसी भी प्रकार का कर (पी.एफ. ई.एस.आई.या अन्य कर या श्रमिक लाभ) निविदादाता द्वारा दी गई दर में सम्मलित रहेगा।

क्र.सं	कृषि एवं अन्य कार्यों का विवरण		दर प्रति 8 घंटे कार्य	निविदा दरें (निविदा दरें सरकारी दर को आधार मानते हुए भरें)*
1.	अकुशल श्रमिक	I. कृषि, नर्सरी व फसल उत्पादन से सम्बंधित समस्त कार्य करवाना	दर प्रति 8 घंटे कार्य	
		II. कार्यालय भवन, प्रायोगिक एवं सामान्य फसलों का रात्रि में रखवाली का कार्य करना	दर प्रति 8 घंटे कार्य	
		III. कार्यालय भवन की सफाई व पोचा लगाना व शौचालय की सफाई का कार्य करना	दर प्रति 8 घंटे कार्य	
2.	कुशल श्रमिकः	I. ट्रेक्टर व अन्य वाहन चलाने हेतु लाइसेन्स–सुदा एवं अनुभवी कुशल श्रमिकों से कार्य करवाना	दर प्रति 8 घंटे कार्य	
		II. बिजली व नल से सम्बंधित कार्य करवाने हेतु	दर प्रति घंटा कार्य	
		III. कार्यालय भवन की रिपेयरिंग, पुताई व रंग रोगन इत्यादि कार्य	दर प्रति घंटा कार्य	
क्र.सं 1 व 2 को मिलाकर कुल निविदा दर राशी (`)				

किसी भी प्रकार का कर निविदादाता द्वारा दी गई दर में सम्मलित रहेगा। उपरोक्त कृषि एवं अन्य कार्यों की दरे अलग–अलग देनी होगी तथा जिस फर्म की दर क्र.सं. 1 व 2 तक कुल मिलाकर न्युनतम आयेगी उसी पार्टी को कार्य अनुमोदित किया जायेगा।

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर
(कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

सूचना क्रमांक प. फार्म स्टोर / कृअके / केशवाना / 2022 / 103 दिनांक 05.05.2022

कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्ते

1. मुहरबन्द निविदा श्रीमान क्षैत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना के नाम से देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में भी जमा करवानी है जिसके लिफाफे पर कृषि व अन्य कार्यों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 05.05.2022 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से लिखी होनी चाहिए तथा किसी भी प्रकार की काट–छाट नहीं होनी चाहिए। कृषि एवं अन्य कार्यों की दरे अलग–अलग देनी होगी तथा जिस फर्म की दर निविदा में वर्णित क्र.सं. 1 व 2 तक कुल मिलाकर न्युनतम आयेगी उसी पार्टी को कार्य अनुमोदित किया जायेगा।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदादाता निविदा शर्तों का अध्ययन करने के पश्चात् ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात अप्रेल 2023 तक के लिये मान्य होगी । आवश्यक्तानुसार आपसी सहमति से यह समयावधि बढाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रू 20,000/– (अक्षरे रूपये बीस हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट के साथ जो कि क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान, कृषि अनुसंधान केन्द्र, केशवाना, जालौर (Zonal Director Research, Keshwana, Jalore) के नाम देय हो व निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– (अक्षरे रू पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नही की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में चेक स्वीकार नही किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक 19.05.2022 को 02.00 बजे बाद खोली जायेगी । यदि किसी कारणवश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी के निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. ठेकेदार के अधीन श्रमिको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करना होगा। ठेकेदार इसके लिए बाध्य होगा।
11. किसी भी नाबलिग या सजायाफता व्यक्ति को कार्य पर नही लगाया जायेगा।
12. कार्य, प्रभारी अधिकारी/फार्म प्रभारी/फार्म प्रबंधक/कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा ।
13. कृषि कार्यों के लिए जरूरी जैसे फावड़ा, कुदाली, गेती, खुरपी, दंताली आदि स्वयं के लाने होंगे तथा अन्य मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, ट्रोली, सीड़ ड्रिल, थ्रेसर, स्प्रे मशीन व सिंचाई के साधन आदि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। फार्म पर कार्य करवाने के लिये श्रमिकों को लाने एवं ले जाने के लिये कोई भी साधन अनुसंधान केन्द्र के द्वारा उपलब्ध नही करवाया जायेगा।
14. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिको के ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर, श्रमिक दुर्घटना व श्रमिक कल्याण का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा। ई.एस.आई. व भविष्य निधि आदि व अन्य कर का रिकार्ड़ यदि आवश्यक हो तो श्रम निरीक्षक द्वारा चाहे गये अनुसार समय–समय पर जॉच हेतु प्रस्तुत करना होगा इस सन्दर्भ में इस केन्द्र का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।
15. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार श्रमिक उपलब्ध करवाने होंगे। ठेकेदार को समय–समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना

होगा अन्यथा कार्य सम्पादन मे किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।

16. संविदा पर करवाने जाने वाले कार्यो के लिये निर्धारित मापदंडो के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने कि जिम्मेदारी ठेकेदार कि होगी, जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्चे से व्यवस्थीत रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को अनुसंधान केन्द्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।

17. ठेकेदार के श्रमिको द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा संपति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नही करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।

18. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं की जायेगी। भुगतान हेतु बिल पूर्ण हुए कार्य की मात्रा के अनुसार माह में केवल एक बार ही स्वीकार किया जाएगा। ठेकेदार को देय भुगतान में व्यवसाय कर आयकर आदि काट कर ही भुगतान किया जाएगा।

19. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात् सात दिन के अन्दर–अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा।

20. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक–लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।

21. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नही किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से की जायेगी।

22. ठेकेदार श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर से कम भुगतान नहीं करेगा एवं भुगतान फार्म मैनेजर/कृषि पर्यवेक्षक की उपस्थिति में व समय पर करेगा।

23. अनुबंधकर्ता को नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प रूपये 100 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।

24. अनुबन्ध पर रखे श्रमिक निर्धारित समय पर ड्यूटी पर उपस्थित होंगे एवं कार्य संतोषजनक नही होने पर स्वीकृति अनुबन्ध निरस्त कर नई निविदा आमंत्रित कर ली जावेगी। स्वीकृति दर से अधिक दर पर भुगतान करने पर अनुमोदित अनुबन्धकर्ता से अधिक भुगतान कि गई राशि वसूल की जाएगी।

25. अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नही होने पर श्रमिक को हटा दिया जायेगा। श्रमिकों के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नही होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।

26. **अनुबन्ध अवधि में किसी श्रमिक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में कृषि अनुसंधान केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी ।**

27. अनुबन्ध अवधि के दौरान लगाये जाने वाले श्रमिकों के संदर्भ में श्रम कानूनों एवं प्रावधानों की पूर्ण पालना हेतु निविदादाता (ठेकेदार) उत्तरदायी रहेगा।

28. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे ।

29. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु कृषि अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियो में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के आविष्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

30. यदि ठेकेदार के श्रमिक द्वारा विश्वविद्यालय सेवामें स्थायी नियुक्ति के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो ठेकेदार इसके लिये पुर्ण रुप से उत्तरदायी होगा।

31. निविदादाता/फर्म/ऐजेंसी के पास श्रम विभाग में पंजीयन होना चाहिए तथा उसके पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम, 2013 के अन्तर्गत मानव संसाधन की सेवाओं के उपापनों के सम्बंध में दिशा निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए ।

32. किसी भी शर्त की पालना ना होने पर निविदा किसी भी समय रदद् की जा सकती है तथा धरोहर राशि जब्त कर जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर हैं तथा मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करवाने के लिये सहमत हूँ निविदादाता/कोन्ट्रेक्टर के हस्ताक्षर दिनांक :	क्षेत्रीय निदेशक अनुसंधान हस्ताक्षर मय सील	कमेटी सदस्यः 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.